सत्यमेव जयते

राजभवन सूचना परिसर, उत्तराखण्ड
प्रेस विज्ञप्ति–3

राजभवन देहरादून 12 जुलाई, 2023

राज्यपाल/कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने माननीय उच्च नैनीताल द्वारा रिट याचिका में दिनांक 05 जुलाई, 2023 को पारित आदेश के क्रम में डॉ0 सुनील कुमार जोशी को कुलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून के पद से तत्काल प्रभाव से वियुक्त(Divested) किया है।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत नए कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अंतरिम व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम–2009की धारा–11(7) के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो0 अरूण कुमार त्रिपाठी, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरूकुल परिसर, हरिद्वार को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ–साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून का कुलपति नियुक्ति किया है।

............0............